




राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्र. 1115 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि / पं.ग्रा.वि.वि / 2019,
प्रति,

रायपुर दिनांक 29/11/2019

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष,
प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सह
सदस्य सचिव, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जिला समस्त

विषय:- "स्वच्छता से सुपोषण अभियान" के अंतर्गत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता के संबंध में।

सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है। कुपोषण को मिटाने हेतु पोषक आहार के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वच्छता भी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक घटक है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 28.11.2019 को सुपोषण अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के भूमिका के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

2/ इसी क्रम में स्कूल/आंगनबाड़ी के बच्चों में पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता की जागरूकता एवं स्वास्थ्यकर व्यवहार की आदत विकसित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संलग्न स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह के सदस्य प्रतिमाह स्कूल/आंगनबाड़ी में व्यक्तिगत स्वच्छता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। साथ ही बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता जिसमें बाल एवं नाखून काटना तथा दैनिक स्नान, भोजन के पूर्व एवं शौच के पश्चात साबुन से हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि को सुनिश्चित करेंगे।


3/ स्कूल/आंगनबाड़ी स्वच्छता गतिविधियों हेतु स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह को उक्त गतिविधि करने हेतु प्रति ग्राम पंचायत रु 500/- प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय के रूप में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के आई.ई.सी. मद से दिया जा सकता है।

4/ ग्राम पंचायत के स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह को स्वच्छता किट- जिसमें 05 नेल कटर, 05 कंघा, 02 आईना, हेण्ड नेपकिन, कपड़े का थैला (प्लास्टिक का नहीं) आदि सम्मिलित है, को एक बार क्रय करने हेतु राशि रु. 750/- प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से स्वच्छाग्रही समूह को खाते में प्रदान की जायेगी। स्वच्छता किट का उपयोग बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं स्वच्छता की आदत निर्माण हेतु स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह के द्वारा किया जायेगा।

&

अब नहीं तो कब ?

5/ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रति ग्राम पंचायत में चयनित स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह को उक्त संबंध में 15 दिसम्बर 2019 के पूर्व बैठक आयोजित कर आवश्यक जानकारी प्रदान की जाये। साथ ही स्वच्छता किट क्रय करने हेतु स्वच्छाग्रही समूह को आई.ई.सी. मद से राशि प्रदान की जाये, जिससे स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह व्यक्तिगत स्वच्छता की गतिविधियों नियमित आयोजित करने हेतु सक्षम हो सकेंगे तथा सुपोषण अभियान में महती भूमिका अदा करेंगे। दिसम्बर 2019 के अंतिम सप्ताह में "स्वच्छता से सुपोषण अभियान" की समीक्षा प्रस्तावित है।


(अनुराग पाण्डेय)

मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 1116 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि / पं.ग्रा.वि.वि / 2019,

रायपुर दिनांक 29/11/2019

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अब नहीं तो कब ?